रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 29, 2007/ज्येष्ठ 8, 1929
No. 242] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 29, 2007/JYAISTHA 8, 1929

IndiaCode

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2007

सा.का.नि. 396(अ).—पारपत्र अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 5 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पारपत्र अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :—

1. (1) इन नियमों का नाम पारपत्र (संशोधन) नियमावली, 2007 होगा,

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पारपत्र नियमावली, 1980 की अनुसूची IV में, –

(क) क्रम सं. 17 से 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामत: :—

बिना बारी के (तत्काल) पासपोर्ट :

		भारत	विदेश
17.	आवेदन की तारीख से 1-07 कलेण्डर दिवसों के भीतर बिना बारी के (तत्काल) नया पारपत्र जारी करना।	1500 रु. + यथा लागू पारपत्र शुल्क	3750 रु. + यथा लागू पारपत्र शुल्क
18.	आवेदन की तारीख से 8-14 कलेण्डर दिवसों के भीतर बिना बारी के (तत्काल) नया पारपत्र जारी करना।	1000 रु. + यथा लागू पारपत्र शुल्क	2250 रु. + यथा लागू पारपत्र शुल्क
19.	आवेदन की तारीख से 1-07 कलेण्डर दिवसों के भीतर खोए/क्षतिग्रस्त पारपत्र के बदले बिना बारी के (तत्काल) पारपत्र जारी करना।	2500 रु. + खोए/क्षतिग्रस्त पारपत्र के बदले में पारपत्र प्राप्त करने के लिए देय पारपत्र शुल्क	खोए/क्षतिग्रस्त पारपत्र के बदले में पारपत्र प्राप्त करने के लिए देय पारपत्र शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं है।

	भारत	विदेश
20. आवेदन की तारीख से 8-14 कलेण्डर दिवसों के भीतर खोए/क्षतिग्रस्त पारपत्र के बदले में बिना बारी के (तत्काल) पारपत्र जारी करना।	1500 रु. + खोए/क्षतिग्रस्त पारपत्र के बदले में पारपत्र प्राप्त करने के लिए देय पारपत्र शुल्क	खोए/क्षतिग्रस्त पारपत्र के बदले में पारपत्र प्राप्त करने के लिए देय पारपत्र शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं है।
21. दस/बीस वर्ष की वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात् पुन: जारी करने के सभी मामलों में, चाहे वह उसी पारपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अथवा पारपत्र जारी करने वाले किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जिसमें आवेदन की तारीख से 1-3 कार्य दिवसों के भीतर बिना बारी के (तत्काल) पारपत्र जारी किया जाना है।	1500 रु. + यथा लागू शुल्क	3750 रु. + यथा लागू शुल्क

टिप्पणी : (क) निम्नलिखित मामलों में क्रम सं. 17, 18, 19, 20 और 21 के अंतर्गत शामिल बिना बारी के तत्काल पारपत्र प्रदान करने के लिए केवल यथा लागू पारपत्र शुल्क देय होगा, नामत: :—

(i) आवेदक को विशेष चिकित्सीय उपचार और परामर्श के लिए विदेश जाने की सलाह दी गई हो।

(ii) परिचारक (केवल एक) जिसे उपर्युक्त (i) में उल्लिखित आवेदक के साथ जाना आवश्यक हो।

(iii) विदेश में स्थित आवेदक के पति/पत्नी, पिता, माता, संतान, संतान के पति/पत्नी, पोत्र/पौत्री, भाई अथवा उसके पति/पत्नी, बहन अथवा उसके पति/पत्नी की मृत्यु के मामले में।

(iv) सभी राजनयिक/सरकारी पारपत्र के धारक जो अपने राजनयिक/सरकारी पारपत्र के बारे में सामान्य पारपत्र का आवेदन करें।

(v) आवेदक के अनाथ बच्चे हों, जिन्हें विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लिया जा रहा हो।

टिप्पणी : (ख) ई.सी.एन.आर. को छोड़कर उन सभी विविध सेवाओं में तत्काल शुल्क लागू होगा, जिनमें नई पारपत्र पुस्तिका जारी होगी।

टिप्पणी : (ग) बिना बारी के तत्काल पारपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक से तत्कालिकता का प्रमाण अपेक्षित नहीं है। अत: पारपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी किसी रूप में उसकी मांग नहीं करेगा।

[फा. सं. VI-401/38/98/खण्ड-II]

आर. स्वामीनाथन, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

टिप्पणी :–प्रधान नियमावली दिनांक 11 दिसंबर, 1980 के भारत के राजपत्र सं. सा.का.नि. 691(अ), में प्रकाशित हुए और तत्पश्चात् निम्न की मार्फत तदनुसार संशोधित हुए :–

(i) सा.का.नि. 50(अ), दिनांकित 7-2-1981;
(ii) सा.का.नि. 494(अ), दिनांकित 10-6-1981;
(iii) सा.का.नि. 469(अ), दिनांकित 24-6-1982;
(iv) सा.का.नि. 325(अ), दिनांकित 12-4-1983;
(v) सा.का.नि. 482(अ), दिनांकित 13-6-1983;
(vi) सा.का.नि. 494(अ), दिनांकित 16-6-1983;
(vii) सा.का.नि. 345(अ), दिनांकित 29-3-1985;
(viii) सा.का.नि. 860(अ), दिनांकित 8-11-1985;
(ix) सा.का.नि. 857(अ), दिनांकित 13-10-1987;
(x) सा.का.नि. 84(अ), दिनांकित 11-2-1988;
(xi) सा.का.नि. 1155(अ), दिनांकित 21-11-1988;
(xii) सा.का.नि. 622(अ), दिनांकित 27-6-1990;
(xiii) सा.का.नि. 653(अ), दिनांकित 20-7-1990;
(xiv) सा.का.नि. 100(अ), दिनांकित 4-3-1991;
(xv) सा.का.नि. 275(अ), दिनांकित 20-3-1991;
(xvi) सा.का.नि. 586(अ), दिनांकित 21-6-1991;
(xvii) सा.का.नि. 111(अ), दिनांकित 22-1-1992;
(xviii) सा.का.नि. 684(अ), दिनांकित 15-6-1992;
(xix) सा.का.नि. 721(अ), दिनांकित 7-8-1992;
(xx) सा.का.नि. 477(अ), दिनांकित 16-6-1993;

(xxi) सा.का.नि. 485(अ), दिनांकित 1-7-1993;

(xxii) सा.का.नि. 503(अ), दिनांकित 10-7-1993;

(xxiii) सा.का.नि. 833(अ), दिनांकित 2-12-1994;

(xxiv) सा.का.नि. 592(अ), दिनांकित 7-8-1995;

(xxv) सा.का.नि. 491(अ), दिनांकित 28-8-1997;

(xxvi) सा.का.नि. 605(अ), दिनांकित 5-10-1998;

(xxvii) सा.का.नि. 516(अ), दिनांकित 8-7-1999;

(xxviii) सा.का.नि. 827(अ), दिनांकित 29-12-1999;

(xxix) सा.का.नि. 34(अ), दिनांकित 12-1-2000;

(xxx) सा.का.नि. 472(अ), दिनांकित 22-5-2000;

(xxxi) सा.का.नि. 473(अ), दिनांकित 22-5-2000;

(xxxii) सा.का.नि. 485(अ), दिनांकित 23-5-2000;

(xxxiii) सा.का.नि. 529(अ), दिनांकित 8-6-2000;

(xxxiv) सा.का.नि. 584(अ), दिनांकित 4-7-2000;

(xxxv) सा.का.नि. 632(अ), दिनांकित 25-7-2000;

(xxxvi) सा.का.नि. 482(अ), दिनांकित 28-6-2001;

(xxxvii) सा.का.नि. 527(अ), दिनांकित 13-7-2001;

(xxxviii) सा.का.नि. 576(अ), दिनांकित 2-8-2001;

(xxxix) सा.का.नि. 817(अ), दिनांकित 2-11-2001;

(xl) सा.का.नि. 879(अ), दिनांकित 5-12-2001;

(xli) सा.का.नि. 235(अ), दिनांकित 28-3-2002;

(xlii) सा.का.नि. 429(अ), दिनांकित 23-5-2003;

(xliii) सा.का.नि. 399(अ), दिनांकित 5-5-2005;

(xliv) सा.का.नि. 768(अ), दिनांकित 23-12-2006 ।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2007

G.S.R. 396(E).—In exercise of the powers conferred by Section 24, read with Section 5 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following Rules to further amend the Passports Rules, 1980, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule IV to the Passports Rules, 1980,—

(a) for serial numbers 17 to 21 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Out of turn (Tatkaal) Passport :

		India	Abroad
17.	Issue of fresh out of turn (Tatkaal) passport within 1-07 calendar days of the date of application	Rs. 1500 plus the passport fee as applicable	Rs. 3750 plus the passport fee as applicable
18.	Issue of fresh out of turn (Tatkaal) passports within 08-14 calendar days of the date of application	Rs. 1000 plus the passport fee as applicable	Rs. 2250 plus the passport fee as applicable
19.	Issue of out of turn (Tatkaal) passport in lieu of lost/damaged passport within 1-07 calendar days of the date of ajpplication	Rs. 2500 plus the passport fee payable for getting a passport in lieu of lost/damaged passport	No fee in addition to the passport fee payable for getting a passport in lieu of lost/damaged passport
20.	Issue of out of turn (Tatkaal) passport in lieu of lost/damaged passport within 8-14 calendar days of the date of application	Rs. 1500 plus the passport fee payable for getting a passport in lieu of lost/damaged passport	No fee in addition to the passport fee payable for getting a passport in lieu of lost/damaged passport
21.	In all re-issue cases after expiry of ten/twenty years validity, either issued from same PIA or any other PIA, where passport is to be re-issued out of turn (Tatkaal) within 1-3 working days from the date of application.	Rs. 1500 plus the passport fee as applicable	Rs. 3750 plus the passport fee as applicable

IndiaCode

Note : (A) Only passport fee as applicable would be payable for grant of an Out-of Turn (Tatkaal) Passport covered under Serial No. 17, 18, 19, 20 and 21 in the following cases, namely :

(i) The applicant has been advised to go abroad for specialized medical treatment and consultation.

(ii) The attendant (one only) who would need to accompany the applicant referred to at (i) above.

(iii) In case of death abroad of spouse, father, mother, child, child's spouse, grand child, brother or his spouse, and sister or her spouse of the applicant.

(iv) All Diplomatic/Official passport holders who apply for an ordinary passport in lieu of their Diplomatic/Official passport.

(v) The applicants who are orphans and are being adopted by foreign parents.

Note : (B) In all miscellaneous services, except ECNR, where fresh passport booklet is to be issued. (Tatkaal) fees will be applicable.

Note : (C) No proof of urgency is required from applicant for grant of an Out-of-Turn (Tatkaal) passport. Hence, PIA would not insist for the same in any form.

[F. No. VI/401/38/98-Vol. II]

R. SWAMINATHAN, Jt. Secy. (CPV)

Note :—The principal Rules were published in the Gazette of India *vide* No. G.S.R. 691(E), dated the 11th December, 1980, and subsequently amended *vide* :

(i) G.S.R. 50(E), dated 7-2-1981;
(ii) G.S.R. 494(E), dated 10-6-1981
(iii) G.S.R. 469(E), dated 24-6-1982;
(iv) G.S.R. 325(E), dated 12-4-1983;
(v) G.S.R. 482(E), dated 13-6-1983;
(vi) G.S.R. 494(E), dated 16-6-1983;
(vii) G.S.R. 345(E), dated 29-3-1985;
(viii) G.S.R. 860(E), dated 8-11-1985;
(ix) G.S.R. 857(E), dated 13-10-1987;
(x) G.S.R. 84 (E), dated 11-2-1988;
(xi) G.S.R. 1155(E), dated 21-11-1988;
(xii) G.S.R. 622(E), dated 27-6-1990;
(xiii) G.S.R. 653(E), dated 20-7-1990
(xiv) G.S.R. 100(E), dated 4-3-1991;
(xv) G.S.R. 275(E), dated 20-3-1991;
(xvi) G.S.R. 586(E), dated 21-6-1991;
(xvii) G.S.R. 111 (E), dated 22-1-1992;
(xviii) G.S.R. 684(E), dated 15-6-1992;
(xix) G.S.R. 721(E), dated 7-8-1992;
(xx) G.S.R. 477(E), dated 16-6-1993;
(xxi) G.S.R. 485(E), dated 1-7-1993;
(xxii) G.S.R. 503(E), dated 10-7-1993;
(xxiii) G.S.R. 833(E), dated 2-12-1994;
(xxiv) G.S.R. 592(E), dated 7-8-1995;
(xxv) G.S.R. 491(E), dated 28-8-1997;
(xxvi) G.S.R. 605(E), dated 5-10-1998;
(xxvii) G.S.R. 516(E), dated 8-7-1999;
(xxviii) G.S.R. 827(E), dated 29-12-1999;
(xxix) G.S.R. 34(E), dated 12-01-2000;
(xxx) G.S.R. 472(E), dated 22-05-2000;
(xxxi) G.S.R. 473(E), dated 22-05-2000;
(xxxii) G.S.R. 485(E), dated 23-05-2000;
(xxxiii) G.S.R. 529(E), dated 8-6-2000;
(xxxiv) G.S.R. 584(E), dated 04-07-2000;
(xxxv) G.S.R. 632(E), dated 25-7-2000;
(xxxvi) G.S.R. 482(E), dated 28-6-2001;
(xxxvii) G.S.R. 527(E), dated 13-7-2001;
(xxxviii) G.S.R. 576(E), dated 2-8-2001;
(xxxix) G.S.R. 817(E), dated 2-11-2001;
(xl) G.S.R. 879(E), dated 5-12-2001;
(xli) G.S.R.235(E), dated 28-3-2002;
(xlii) G.S.R. 429 (E), dated 23-05-2003;
(xliii) G.S.R. 399 (E), dated 05-05-2005 ;
(xliv) G.S.R. 768 (E), dated 23-12-2006.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.